



प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
मुकाम ..... दिनांक.....

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021  
ग्राम पंचायत ..क.श.दी..

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनुवान श्री जगदीश प्रसाद पिता/पति नारायण लाल  
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी जगदीश प्रसाद  
पिता नारायण लाल नि नगरी का/के/ हूँ/हैं  
मेरे/हमारे प.ह. नगरी के राजस्व ग्राम नगरी में खाता संख्या 537  
किता 14 रकबा 277 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें  
मेरी/हमारी जाति/नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप  
में जगदीश चन्द्र दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम जगदीश प्रसाद के बजाय जगदीश चन्द्र  
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 08-10-2021

जगदीश

हस्ताक्षर

प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का नगरी

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जगदीश चन्द्र पिता नारायण लाल  
नि नगरी राजस्व ग्राम नगरी प.ह. नगरी की जमाबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में जगदीश चन्द्र दर्ज करवाना  
चाहता है/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के  
हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन निरामाजाना  
उचित है।

कस्सी  
हस्ताक्षर पटवारी नगरी

कस्सी  
हस्ताक्षर भू.अ.नि. सेमलपुरा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) ~~वस्ती~~ जिला चित्तौड़गढ़ राज.  
दिनांक:- 08/10/2021

क्रमांक:- भू.अ./2021/03  
प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़  
महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जगदीश प्रसाद पिता नारायण लाल नि.  
वस्ती प.ह. नगरी के राजस्व ग्राम नगरी में जमाबन्दी संवत  
2069-71 की खाता संख्या 537 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक ज़मति/नाम जगदीश चन्द किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक ज़मति/नाम जगदीश चन्द का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

08/10/21  
तहसीलदार वस्ती  
जिला चित्तौड़गढ़ राज.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला ~~वस्ती~~ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

क्रमांक:- ~~सीडर/20/570/फर~~ 188/2021 दिनांक:- 11/10/2021  
निमित्त.

पटवार हल्का नगरी

ता.नि.  
236

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जगदीश चन्द पिता नारायण लाल देवर  
राजस्व ग्राम नगरी प.ह. नगरी की खाता संख्या 537 में  
जाति/नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार वस्ती द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जगदीश प्रसाद पिता नारायण लाल की  
जाति/नाम जगदीश चन्द एल.आंर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. नगरी राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
उपखण्ड कार्यालय एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार वस्ती पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
उपखण्ड कार्यालय एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)